सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 2905 दिनांक 11.07.14 एवं पत्रांक 3210 दिनांक 22.06.16 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0, डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, छपरा सदर द्वारा नगर निगम छपरा एवं रिविलगंज प्रखंड अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुमोदित योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –01, छपरा के द्वारा प्राक्कलित राशि पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है तथा पत्रांक 858 दिनांक 14.03.2020, पत्रांक 746 दिनांक 06.03.2020 एवं पत्रांक 2038 दिनांक 17.08.2019 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल – 01, छपरा के द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदन की राशि एवं उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 596 दिनांक 16.03.2020 एवं पत्रांक 723 दिनांक 21.04.2020 पत्रांक 1812 दिनांक 04.10.2019 द्वारा सात निश्चय से विलोपन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन एवं अंचलाधिकारी, रिविलगंज के पत्रांक 131 दिनांक 07.02.2020 द्वारा भूमि उपलब्धता संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	रिविलगंज	रिविलगंज प्रखंड के पंचायत खैरवार के ग्राम खैरवार में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास में पोखरा पर घाट का निर्माण।	470800.00	470800.00	श्री सी0एन0 गुप्ता
2	"	रिविलगंज प्रखंड के पंचायत मोहब्बत परसा के ग्राम राघोपुर में सोंधी नदी में घाट का निर्माण कार्य।	829700.00	829700.00	"
3	"	रिविलगंज प्रखंड के पंचायत इनई सेंगर टोला में सुरेन्द्र सिंह के घर से रेलवे लाईन तक नवलेश सिंह के घर तक लगभग 500 फिट सड़क का निर्माण कार्य।	688900.00	688900.00	"
4	रिविलगंज नगर पंचायत	रिविलगंज नगर पंचायत के वार्ड नं0 05 के सेमरिया मल्लाह टोली मे श्री विद्याभुषण श्रीवास्तव के घर से दुर्गा स्थान तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण एवं एक तरफ नाला निर्माण 200X8 फिट।	425600.00	425600.00	"
5	रिविलगंज	रिविलगंज प्रखंड में पंचायत खैरवार के ग्राम मैनपुरा में रामनाथ तिवारी के घर से अनिल तिवारी के घर तक पी0सी0सी0 रोड का निर्माण लगभग 300 फिट।	284200.00	284200.00	"
		कुल :–	**2699200.00**	**2699200.00**	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (छब्बीस लाख निन्यानवे हजार दो सौ रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 01, छपरा।

निर्देश एवं शर्तें:–

1. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 का संकल्प संख्या 2905 दिनांक 11.07.2014 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3210 यो0 वि0 पटना, दिनांक 22.06.2016 एवं समय समय पर निर्गत विभागीय आदेश के आलोक में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

2. योजना का कार्य प्रारंभ करने के समय कार्य स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें योजना का नाम, मद का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम, कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का नाम तथा योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत योजना के प्राक्कलन में पुनरीक्षण मान्य नहीं होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना के कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो इसके लिए संबंधित कार्य एजेंसी एवं संबंधित अभियंता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
4. योजना में गुणवत्ता का ह्रास किसी भी परिस्थिथि में मान्य नहीं होगा। इसके लिए कनीय अभियंता/सहायक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगे।
5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य के मध्य में एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत 3 (तीन) योजना का फोटोग्राफ्स लेकर उसे योजना के पूर्ण होने के उपरांत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं फाटोग्राफी की प्रति अपने योजना अभिलेख में भी रखेंगे।
6. योजना स्थल पर निरिक्षण पंजी का संधारण अनिवार्य होगा, जिसमें इस योजना के पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता एवं समय समय पर निरीक्षण पदाधिकारी अपना मंतव्य के साथ हस्ताक्षर करेंगे।
7. योजना में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित हो लेंगे कि इस योजना में विगत पाँच वर्षों के अंतराल में इस योजना पर अन्य किसी मद से काई कार्य नहीं हुआ है तथा वर्तमान में यह योजना किसी अन्य मद अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. किसी भी परिस्थिति में निकटतम दूरी उपलब्धता को छोड़कर दुरस्थ स्त्रोत को आधार बनाने पर संबंधित अभियंता के विरुद्व प्रशासनिक एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
9. योजना का निर्माण सरकारी भूमि पर ही करेंगे। यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है तो महामहिम राज्यपाल के नाम से जमीन का निबंधन हो जाने के पश्चात ही योजना का कार्य प्रारंभ करेंगे।
10. अंचलधिकारी, रिविलगंज से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है। (छायाप्रति संलग्न) अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि पर ही योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें।
11. योजना का कार्य छः माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाये।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाये।

ह०/-

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 456/यो0 दिनांक 13/05/2020

प्रतिलिपिः— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –01, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा को सूच नार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स0वि0स0, छपरा सदर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

13/05/2020

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

4